उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 18 | 16-30 सितंबर 2022 | ₹ 20/-

पॉपुलर फ्रंट और सहयोगी संगठनों पर पांच वर्ष का प्रतिबंध

- संघ प्रमुख का सद्भावना अभियान उर्दू प्रेस की नजर में
- जापान का महावाणिज्य दूत जासूसी के आरोप में गिरफ्तार
- ईरान में हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन
- निजाम को भारत रत्न देने की मांग

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पॉपुलर फ्रंट और सहयोगी संगठनों पर पांच वर्ष का प्रतिबंध 04
संघ प्रमुख का सद्भावना अभियान उर्दू प्रेस की नजर में 12
आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक 22
दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जमानत पर रिहा 23
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण 25

विश्व

जापान का महावाणिज्य दूत जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 28
तालिबान के साथ रूस का समझौता 29
अमेरिका प्रति वर्ष सवा लाख शरणार्थियों को शरण देगा 30
रूस के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग 31
मरयम नवाज और उनका पति बरी 31

पश्चिम एशिया

ईरान में हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन 32
चार वर्षों में इजरायल में पांचवें चुनाव की तैयारी 36
कुवैत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा 37
मक्का और मदीना के बीच तेज रफ्तार ट्रेन 37
नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला 38

अन्य

काबा में नारा लगाने की अनुमती नहीं 39
निजाम को भारत रत्न देने की मांग 39
लव जिहाद के आरोपी का मकान ध्वस्त 39
मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग 40
कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित 40

सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के बीच सद्भावना की स्थापना के लिए गत दो वर्ष से अभियान चला रखा है। हाल ही में इस सिलसिले में मोहन भागवत एक मस्जिद और मदरसे में भी गए। उनके एक सहयोगी का यह कहना सही है कि इससे पूर्व संघ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी से उनकी काफी लंबी बातचीत हुई। इलियासी परिवार से संघ के पुराने रिश्ते हैं। इस मुलाकात के बाद मौलाना इलियासी ने एक इंटरव्यू में भागवत को 'राष्ट्रपिता' और 'राष्ट्र ऋषि' बताया। इसके बाद देश भर की मीडिया में सरसंघचालक के सद्भावना प्रयासों की चर्चा शुरू हो गई। इससे पूर्व संघ प्रमुख ने पांच मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की थी। इसके बाद सरसंघचालक ने एक कमेटी की स्थापना की जो भविष्य में मुस्लिम नेताओं और संस्थाओं के साथ संघ के सद्भावना प्रयासों को जारी रखेगी। सरसंघचालक ने मुस्लिम समाज के साथ सद्भावना के प्रयासों की शुरुआत गाजियाबाद में आयोजित एक समारोह से की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में इस सिलसिले को जारी रखा। देश के सबसे सशक्त मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से भी संघ प्रमुख ने संघ कार्यालय झंडेवालान में मुलाकात की थी। बड़ी अजीब बात है कि हालांकि आम मुसलमानों ने संघ के इन प्रयासों की सराहना की है। मगर कुछ कट्टरपंथी संगठनों और उनके नेताओं को यह प्रयास पसंद नहीं आए। हालांकि उनके स्वर पहले जैसे मुखर नहीं हैं।

केंद्र सरकार ने आखिरकार विवादित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2019 में ही पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियों की जांच करने के बाद केंद्र सरकार से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इससे पूर्व केरल सरकार ने जब इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था तो केरल उच्च न्यायालय में राज्य सरकार कुछ ठोस सबूत इस संगठन के खिलाफ पेश नहीं कर सकी थी। केंद्र सरकार इस गलती को दोहराना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने इस संगठन के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने पर विशेष ध्यान दिया। इसके बाद देश भर में पॉपुलर फ्रंट और उससे संबंधित संगठनों के कार्यालयों और उसके कैडर पर छापे मारे गए। इसके बाद इस संगठन से संबंधित 1000 के लगभग लोगों को हिरासत में लिया गया। इन छापों के खिलाफ फ्रंट ने केरल में आम हड़ताल का आयोजन किया था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। हड़ताल की केरल उच्च न्यायालय से क्योंकि पूर्वानुमति नहीं ली गई थी, इसलिए केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह इस संगठन से संबंधित लोगों को तत्काल गिरफ्तार करे और बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को जो क्षति पहुंची है, उसका हर्जाना फ्रंट के नेताओं से वसूल किया जाए। 2006 में स्थापित पॉपुलर फ्रंट का मुख्यालय पहले केरल में हुआ करता था। अब यह दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। सरकार का दावा है कि इस संगठन के तार खूंखार इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े हुए हैं और इसे भारत में आतंकवाद को भड़काने के लिए विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यह संगठन देश के 20 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है।

ईरान में हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन दिन-प्रतिदिन उग्र रूप ले रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत ईरान की मोरल पुलिस की हिरासत में एक 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद हुई थी, जिसे हिजाब को ढंग से न पहनने के आरोप में वहां की मोरल पुलिस ने पीटा था। कहा जाता है कि पुलिस की मारपीट के बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। अब तक इस संदर्भ में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरान सरकार ने इंटरनेट सेवा और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा विदेशी मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है।

राष्ट्रीय

पॉपुलर फ्रंट और सहयोगी संगठनों पर पांच वर्ष का प्रतिबंध

आखिरकार केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आठ अन्य सहयोगी संगठनों पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। जिन सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जुनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) शामिल हैं।

सियासत (23 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने स्थानीय पुलिस क सहयोग से देश के 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट और उससे संबंधित संगठनों के कार्यालयों पर छापे मारे। सरकारी बयान के अनुसार इस संगठन पर आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने और विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आरोप में छापे मारे गए हैं। पहले दिन 100 स्थानों पर छापे मारने के बाद 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ.एम.ए. सलाम और दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद भी शामिल हैं। पुलिस उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ कर रही है। इन छापों की शुरुआत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों से हुई थी।

इत्तेमाद (19 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दो दर्जन स्थानों पर छापे मारे और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, दो तलवारें और 8 लाख 21 हजार नकद जब्त किए गए। तेलंगाना पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें अब्दुल कादिर, शेख शादुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन शामिल हैं। राष्ट्रोय जांच एजेंसी ने निजामाबाद में अनेक बैंकों की छानबीन करने के बाद पॉपुलर फ्रंट के विभिन्न खातों का सुराग लगाया है। निजामाबाद के ऑटो नगर से अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक शिविर का आयोजन करके 400 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया था। जांच एजेंसियों ने

जग्तियाल में एक दर्जन मकानों की 12 घंटे तक तलाशी ली और इरफान नामक एक व्यक्ति के मकान से एक सीडी और सलीम के कब्जे से पासपोर्ट का आवेदन भी बरामद किया है। सलीम और मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार करने के बाद हैदराबाद ले जाया गया है।

सियासत (19 सितंबर) के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 38 स्थानों पर छापे मारे हैं। हैदराबाद में भी एक दर्जन स्थानों पर छापे मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से कर्नूल से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी सूत्रों ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या बताने से इंकार किया है और कहा है कि अभी बातचीत चल रही है।

अवधनामा (23 सितंबर) के अनुसार सबसे ज्यादा व्यक्ति केरल से पकड़े गए हैं, जिनकी संख्या 22 है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 व्यक्ति, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली और पुदुचेरी से 3-3, मध्य प्रदेश से 4, तमिलनाडु से 10, उत्तर प्रदेश से 8 और राजस्थान से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के शाहीन बाग और गाजीपुर से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है। उत्तर पदेश के वाराणसी, बहराइच, बाराबंकी और लखनऊ से भी दा दर्जन व्यक्तियों के पकड़े जाने की सूचना है। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ मंगलूरु और बेंगलूरु में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए। मंगलूरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पॉपुलर फ्रंट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि फासिस्ट सरकार विरोधियों की आवाज को कुचलने के लिए उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट एक इस्लामिक संगठन है, जिस पर सरकार समय-समय पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाती रही है। पॉपुलर फ्रंट 2006 तक नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के रूप में काम कर रही थी। समाचारपत्र का दावा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की निगरानी में ये छापे मारे गए हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (24 सितंबर) के अनुसार देश भर में पांपुलर फ्रंट पर मारे गए छापों के खिलाफ केरल में कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए और केरल बंद का आयोजन किया गया। फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में सरकारी बसों पर हमले करके उनमें तोड़फोड़ की। मट्टनूर में आरएसएस के कार्यालय पर पेट्राल बम भी फेंके गए। कोल्लम में पुलिस पर भी हमले किए गए। हिंसा के सिलसिले में केरल पुलिस ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया है। केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्देश पहले ही दे रखा है कि उसकी पूर्व सूचना के बिना कोई भी पार्टी या संगठन बंद या हड़ताल नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट की इस हड़ताल को गैरकानूनी करार देते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह पॉपुलर फ्रंट और हड़ताल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।

औरंगाबाद टाइम्स (23 सितंबर) के अनुसार गुप्त प्रशिक्षण शिविर चलाने और उनमें हिंसा का प्रशिक्षण देने एवं आतंकवाद के लिए

फंड उपलब्ध करवाने के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट के 100 दफ्तरों पर छापे मारे गए, जिनमें 200 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। सरकारी सूत्रों ने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बताने में असमर्थता प्रकट की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट के संबंध आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा से हैं।

सियासत (19 सितंबर) के अनुसार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अंधाधुंध छापों की वजह से मुसलमानों में काफी परेशानी और चिंता फैली हुई है। पॉपुलर फ्रंट को हडताल के कारण केरल के अनेक भागों में जनजीवन ठप रहा।

औरंगाबाद टाइम्स (28 सितंबर) के अनुसार शाहीन बाग में भी आधी रात को छापे मारकर काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया ह और वहां पर पॉपुलर फ्रंट के दफ्तर को सील कर दिया गया है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शाहीन बाग और जामिया मिलिया में धारा 144 लगा दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन ने छात्रों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा न लें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अखबार-ए-मशरिक (25 सितंबर) के अनुसार दिल्ली में पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों ने जो संयुक्त अभियान चलाकर रात को तीन बजे छापामारी की थी, उस अभियान की निगरानी गृहमंत्री अमित शाह व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य के 26 जिलों में छापामारो करते हुए 577 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की गई है। इनके कब्जे से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें आतंकवाद को भड़काने के लिए इनको विदेशी स्रोतों से धनराशि मिलने की पुष्टि होती है। केंद्रीय एजेंसियां इन दस्तावजों का अध्ययन कर रही हैं। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अनुसार एटीएस ने चार जिलों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके लैपटॉप और मोबाइल आदि की जांच की जा रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (29 सितंबर) के अनुसार लालू प्रसाद यादव और सीपीएम ने मांग की है कि पॉपुलर फ्रंट के साथ-साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया मिलिया और कुछ अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पुलिस ड्रोन द्वारा स्थिति पर नजर रख रही है। केरल में मुस्लिम लीग के नेता

एम.के. मुनीर ने पॉपुलर फ्रंट की हिंसक गतिविधियों की निंदा करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। जबकि जमात-ए-इस्लामी ने सरकार द्वारा पॉपलुर फ्रंट पर पाबंदी लगाने की निंदा करते हुए उसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। जमात-ए-इस्लामी ने यह भी कहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना रही है। जमात-ए-इस्लामी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। जो बहुसंख्यक संगठन खुलेआम नफरत और हिंसा को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस प्रतिबंध को तुरंत वापस लिया जाए।

अवधनामा (23 सितंबर) के अनुसार मुस्लिम संगठनों ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे सरकार की हिटलरशाही कार्रवाई से उत्तेजित न हों और सब्र से काम लें। ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम के अध्यक्ष मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी, ऑल इंडिया मरकजी इमाम काउंसिल के अध्यक्ष सैयद माहम्मद रिजवी और मुस्लिम स्टुडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. शुजात अली कादरी ने सरकारी कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि इन लोगों को झूठे आरोपों में राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तार किया गया है। इसलिए सरकार को अदालत में इन आरोपों को सिद्ध करना कठिन होगा। इन संगठनों ने देश की न्यायपालिका पर आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि वह न्याय करेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 सितंबर) के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादानशीं ने इस प्रतिबंध का समर्थन किया है।

औरंगाबाद टाइम्स (30 सितंबर) के अनुसार केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट पर हड़ताल क दौरान बसों को आग लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में पांच करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है और कहा है कि प्रदर्शन के दौरान जो तोड़फोड़ हुई थी, उसके लिए पॉपुलर फ्रंट पूरी तरह से जिम्मेवार है। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट और उसके पदाधिकारियों के खातों को फ्रीज कर दिया है और पॉपुलर फ्रंट एवं उसके पदाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंटस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। पॉपुलर फ्रंट ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद अपनी सभी ईकाईयों को भंग करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट के एक मॉड्यूल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और अहमदी मुसलमानों पर हमले करने की साजिश रची थी। यह मॉड्यूल अंसार अल खलीफा, केरल के नाम से काम कर रहा था।

इत्तेमाद (29 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हालांकि हम पॉपुलर फ्रंट की कट्टरपंथी नीतियों के विरोध में हैं, मगर हम इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुसंख्यक संगठन अजमेर बम धमाके में लिप्त पाया गया था, मगर आजतक उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि यूएपीए के काले कानून के तहत यह जालिमाना प्रतिबंध खतरनाक है। क्योंकि वह प्रत्येक मुसलमान को अपन विचारों को अभिव्यक्त करने से रोकता है और इस काले कानून का निशाना सिर्फ मुसलमानों को ही बनाया जा रहा है।

पॉपुलर की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने इस प्रतिबंध की निंदा करते कहा है कि यह केंद्र सरकार के अघोषित आपातकाल का हिस्सा है और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है तथा संविधान के खिलाफ है। संगठन के अध्यक्ष एम. के. फैजी ने कहा है कि सरकार उन लोगों का मुंह बंद करना चाहती है जो भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से गजवा-ए-हिंद, आईएसआईएस और कश्मीरी आतंकियों के साथ संपर्क से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं। मेरठ में गिरफ्तार किए गए एसडीपीआई के महासचिव शादाब अजीज कासमी के पास से सात गुप्त फाइलें, 11 वीडियो, पेन ड्राइव से 180 देश विरोधी तस्वीरें और इस्लामिक संगठन आईएसआईएस से संबंधित साहित्य बरामद हुआ है।

सालार (29 सितंबर) ने यह दावा किया है कि केंद्र को मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व अनेक मुस्लिम संगठनों से सलाह-मशविरा किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने देवबंदी, बरेलवी और सूफी संप्रदायों के नेताओं से इस संबंध में मुलाकात की थी। उन सभी ने पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 सितंबर) के अनुसार केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां काफी समय से पॉपुलर फ्रंट और उससे संबंधित संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही थीं। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि विदेशों से हाल ही में पॉपुलर फ्रंट के खातों मं सात करोड़ रुपया हवाला के जरिए आया था। यह धनराशि खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के माध्यम से फ्रंट को भेजी गई थी। इससे पूर्व राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2017 में केंद्र सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 सितंबर) के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर बम फेंके गए। अभी तक पुलिस

इस संदर्भ में हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

फ्रंट पर पाबंदी उर्दू समाचारपत्रों की नजर में

मुंबई उर्दू न्यूज (24 सितंबर) ने कहा है कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को जो मुंह की खानी पड़ी थी, उसके कारण सरकार को पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी लगानी पड़ी है। अदालत में जब सरकार ने कहा कि कप्पन पॉपुलर फ्रंट से संबंधित है, तो अदालत ने कहा कि क्या पॉपुलर फ्रंट प्रतिबंधित संगठन है? उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है? इस फैसले से सरकार को यह अहसास हो गया कि मीडिया में झूठे आरोप लगाकर जिस तरह से किसी व्यक्ति को बदनाम करना आसान है वैसा अदालत में नहीं।

हमारा समाज (25 सितंबर) में एहसास नायाब ने अपने लेख में पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा है कि यही कारण है कि देश के अनेक भागों में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें 'अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी' और 'एनआईए गो बैक' के नारे लगाए गए। पॉपुलर फ्रंट की अपील पर केरल बंद रहा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बेबुनियाद दावे हैं और इसका एक मात्र उद्देश्य सनसनी पैदा करके लोगों में भय का वातावरण पैदा करना है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करने वाली सरकार के इस तरह के खौफनाक हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के संविधान और लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेखिका ने कहा है कि देश में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लड़ने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता परेशान है। इसलिए जनता को गुमराह करने और बुनियादी मुद्दों से उसका ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया गया है। नायाब ने लिखा है कि आज बेशक पॉपुलर फ्रंट निशाने पर है लेकिन शीघ्र ही देश का हर वह संगठन और हर वह इंसान उनके निशाने पर होगा, जिसमें पीड़ित को पीड़ित और जालिम को जालिम कहने की हिम्मत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वह कहां तक सच हैं इसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अभी तक पॉपुलर फ्रंट की भूमिका प्रशंसनीय रही है।

सियासत (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में पॉपुलर फ्रंट और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा है कि सरकार ने यह दावा किया है कि यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है। जबकि संगठन ने सरकार को चुनौती दी है कि वह इन आरोपों को सिद्ध करे। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का संबंध है, अगर कोई संगठन उसमें लिप्त है तो उसे देश में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक पॉपुलर फ्रंट का संबंध है, अभी तक जांच एजेंसियां जो दावे कर रही हैं उनकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण या सामग्री पेश नहीं किया जा सका है। सरकार का दावा है कि उसने यह फैसला मुस्लिम संगठनों से सलाह-मशविरा करने के बाद किया है। सवाल यह है कि सरकार ने किस-किस मुस्लिम संगठन से सलाह-मशविरा किया था? उनका नाम जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि आम मुसलमानों के दिमाग में जो प्रश्न हैं उनका समाधान हो सके। समाचारपत्र ने कहा है कि बहुसंख्यक समाज से संबंधित संगठन बम धमाकों में लिप्त पाए गए, मगर आज तक उन पर प्रतिबंध लगाने की हिममत सरकार की नहीं हुई।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब पॉपुलर फ्रंट और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है तो आरएसएस पर अभी तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया

गया? जानकार सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहला काम आरएसएस और भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने में रूकावट पैदा करने वाली कई गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का किया था। मानवाधिकारों से जुड़े हुए ये वे संगठन थे जो अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के कल्याण का कार्य करते थे। तब से अब तक आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन नफरत का प्रचार और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाडने के लिए खुलेआम काम कर रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें कानूनी पंजे से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

हमारा समाज (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा करते हुए कहा है कि सरकार ने यह दावा किया है कि इस संगठन पर इसलिए प्रतिबंध लगाना पड़ा है, क्योंकि इसके तार सीरिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसका संबंध बांग्लादश के आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन से भी पाया गया है। कुछ लोगों ने इस पाबंदी का समर्थन किया है और उनका कहना है कि इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित संगठनों पर, चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म या मजहब से हो प्रतिबंध लगना चाहिए। जबकि आम लोगों का विचार है कि कर्नाटक और गुजरात के चुनाव को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि इसका इस्तेमाल मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए किया जा सके। सवाल यह है कि क्या सरकार बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी?

इत्तेमाद (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार ने पांच वर्ष के लिए कथित मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है और इससे संबंधित सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का दावा है कि इस संगठन का संबंध प्रतिबंधित संगठन सिमी, बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन और आईएसआईएस से है और इस संगठन को आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए विदेशों से फंड प्राप्त होते थे। जबकि 2006 में बनने वाला यह संगठन यह दावा करता है कि उसका लक्ष्य देश के गरीब और पिछड़े हुए लोगां के कल्याण के लिए काम करना और उनके शोषण को रोकना है। पॉपुलर फ्रंट 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त किए जाने के बाद केरल में बने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का अन्य दो संगठनों के विलय के बाद बना था। बाद में इसमें कई अन्य संगठन भी शामिल हो गए। इस समय पॉपुलर फ्रंट केरल और कर्नाटक में बेहद ताकतवर है। जबकि इसकी शाखाएं देश क 20 राज्यों में हैं। इस संगठन का दावा है कि उसकी गतिविधियां सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं

हैं, बल्कि वह दलितों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्रिय है। इस संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न राज्यों में यूएपीए और आतंकवाद निरोधक अन्य धाराओं के तहत 1300 से अधिक केस दर्ज हैं। भाजपा और संघ के अतिरिक्त अन्य कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस प्रतिबंध का समर्थन किया है। इनमें ऑल इंडिया सूफी काउंसिल, बरलवी विचारधारा का एक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी शामिल है। समाचारपत्र का दावा है कि वोट बटोरने के लिए सरकार ने इस संगठन को अपना निशाना बनाया है। एक ओर तो सरकार बजरंग दल, श्रीराम सेना, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों तथा नूपुर शर्मा और राजा सिंह जैस लोगों को खुली छूट देती है। जबकि दूसरी ओर सिर्फ संदेह के आधार पर मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा सख्त कार्रवाई करती है। इसके कारण देश के मुसलमानों में असंतोष है।

अवधनामा (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में पॉपुलर फ्रंट पर मारे गए छापों की निंदा की है और कहा है कि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व उसके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह भी कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले को पुलिसिया कार्रवाई का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। अब सरकार को अदालत के सामने इस हकीकत को पेश करना होगा कि गिरफ्तार किए गए लोग राष्ट्रद्रोही हैं या सरकार के विरोधी।

अवधनामा (24 सितंबर) में डॉ. सलीम खान ने अपने लेख में कहा है कि सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। अभी तक सरकार किसी भी अदालत में दोष सिद्ध नहीं कर सकी है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर 45 हजार रुपये लेकर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। मगर इसे सरकार अदालत में सिद्ध नहीं कर सकी। कप्पन के वकील का कहना है कि यह उसका मासिक वेतन था। जहां तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का संबंध है, अभी तक इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे कौन से प्रतिबंधित संगठन थे जिनके बारे में इन शिविरों में प्रचार किया जाता था? 2012 में केरल सरकार ने पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था। अब केंद्र सरकार भी वही गलतो कर रही है। यह बेबुनियाद आरोप सर्वोच्च न्यायालय में टिक नहीं सकेगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी।

संघ प्रमुख का सद्भावना अभियान उर्दू प्रेस की नजर में

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गत दो वर्षों से देश के विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच सद्भावना पैदा करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत संघ के इतिहास में पहली बार कोई सरसंघचालक किसी मस्जिद में गए और वहां उन्होंने इमाम के साथ खुलकर बातें की। इसके अतिरिक्त संघ प्रमुख ने पहली बार किसी इस्लामिक मदरसे का भी दौरा किया और वहां के बच्चों और अध्यापकों से बातचीत की। इससे पूर्व संघ प्रमुख ने मुस्लिम समाज के पांच बुद्धिजीवियों से भी विचार-विमर्श किया। उनके इस अभियान को उर्दू प्रेस ने मोटे तौर पर बड़ी कवरेज दी है। उर्दू समाचारपत्रां और मस्लिम नेताओं ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस अभियान का मूल्यांकन किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 सितंबर) ने इस समाचार को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है, 'मोहन भागवत पहली बार मस्जिद में', 'उमेर इलियासी से विचार-विमर्श', 'जमील इलियासो के मजार की जियारत', 'मदरसा में बच्चों से बातचीत' 'ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि करार दिया', 'संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी से मुलाकात की'। 'इस दारान उनके साथ कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे'।

समाचारपत्र ने कहा है कि दिल्ली में मस्जिद में मुलाकात के बाद भागवत आजाद मार्केट स्थित मदरसे में भी गए और बच्चों से मुलाकात की। मदरसों में पढ़ाई के बारे में भी उन्होंने पूछा। भागवत किसी मदरसे में पहली बार पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उमेर इलियासी के पिता जमील इलियासी के मजार की जियारत भी की और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। इससे पूर्व आरएसएस प्रमुख ने कुछ मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत की थी। यह पहला अवसर नहीं है जब मोहन भागवत किसी मुस्लिम नेता से मिले हों। इससे पहले भी उन्होंने कई बार मुस्लिम उलेमा से मुलाकातें की। यह बात अपनी जगह है कि इन मुलकातों का कोई नतीजा सामने नहीं आया। मुसलमानों में ही

एक बड़ी संख्या ऐसी मुलाकातों को अच्छा कदम मानती है, तो दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों की भी मुसलमानों में कमी नहीं है, जो यह कहते हैं कि आरएसएस कभी भी देश के मुसलमानों की खुशहाली नहीं चाहता। आरएसएस का मुसलमानों के बारे में जो दृष्टिकोण है वह बदलने वाला नहीं है। सबके अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। जहां तक आरएसएस के नेताओं से मुस्लिम उलेमा की मुलाकात की बात है यह सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। बल्कि मुसलमानों को सत्ता में बैठे जिम्मेवार लोगों से भी अपनी समस्याओं के बारे में समय-समय पर मिलते रहना चाहिए। क्योंकि बातचीत के दरवाजे कभी नहीं बंद करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई फायदा नहीं मिल सकता। मुसलमानों के सामने कई समस्याएं हैं। इनके बारे में ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है और मुसलमानों की इस बदहाली के लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेवार हैं तो वे राजनीतिक दल हैं, जो स्वयं को सेक्युलर बताकर और भाजपा का डर दिखाकर किसी न किसी तरह से मुसलमानों को गुमराह करती आई हं। जब व सत्ता में थीं तब उन्होंने मुसलमानों को स्वपन दिखाए। आज वे सत्ता में नहीं हैं, तो इसका नुकसान भी मुसलमानों को ही उठाना पड़ रहा है। भाजपा की नजरों में इन पार्टियों ने मुसलमानों की क्या तस्वीर बना दी है, इसके बारे में हर मुसलमान जानता है। मुसलमानों को राजनीति से लेकर हर तरह से कमजोर करने की जिम्मेवार भी यही राजनीतिक पार्टियां हैं, जो मुसलमानों के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाती रही हैं और समय आने पर मुसलमानों को दरकिनार कर देती हैं। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वे अपनी बदहाली को दूर करने के लिए हुकूमत से बातचीत के दरवाजे बंद न करें और अपनी राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहें।

रोजनामा सहारा (23 सितंबर) न इसी समाचार को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है और इसका शीर्षक दिया है, 'भागवत ने मुसलमानों तक बढ़ाई पहुंच', 'मदरसे और मस्जिद का किया दौरा', 'एक महीने में मुसलमान नुमाइंदों से दूसरी मुलाकात', 'पांच मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात के बाद उमेर इलियासी से विचार-विमश', 'इलियासी ने भागवत को बताया राष्ट्रपिता'।

समाचार में कहा गया है कि ऐसे समय में जब सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब के मामले पर सुनवाई हो रही है और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की सुनवाई भी जारी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे का आदेश जारी हो चुका है। पूरे देश में पॉपुलर फ्रंट के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे हालात में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम संप्रदाय तक अपनी पहुंच को आगे बढ़ाते हुए जुमा रात को राजधानी में एक मदरसे और मस्जिद का दौरा करके खबरों का रूख अपनी ओर मोड़ लिया है और मीडिया में इस पर बहस होने लगी है। सभी को इस बात की हैरानी है। आरएसएस के एक पदाधिकारी जो इस मौके पर मोहन भागवत के साथ थे, उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि जब किसी सरसंघचालक ने किसी मदरसा का दौरा किया है। मस्जिद में हुई मुलाकात के बाद ऑल

इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता करार दिया है। आरएसएस के सरसंघचालक पहली बार कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक मस्जिद में गए और उसके बाद आजाद मार्केट स्थित एक मदरसे का भी दौरा किया। बाद में डॉ. उमेर इलियासी के भाई और मौलाना जमील इलियासी के बेटे सुहैब इलियासी ने पत्रकारों को बताया कि आज उनके पिता मौलाना जमील इलियासी की बरसी है। और इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख को दावत दी गई थी। इसके बाद वे उमेर इलियासी से उनके दफ्तर में आकर मिले थे और मजार पर भी गए थे। यह मुलाकात पूर्ण रूप से व्यक्तिगत थी और इसमें किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं हुई। उनके पिता एक इस्लामिक विद्वान थे। इसलिए सभी धर्मों के लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे। मोहन भागवत और आरएसएस के अन्य पदाधिकारियों न उनके पिता के कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद भागवत 70 वर्षीय पुराने मदरसे में गए जो मस्जिद तकिया वाली में स्थित है। मदरसा के प्रबंधक मौलाना महमूद हसन ने मोहन भागवत का स्वागत किया। बच्चों से कुरान सुना और हाफिज कुरान करने वाले छात्रों से खासतौर पर बातचीत की। बताया यह भी गया है कि संघ के इतिहास में पहली बार कोई सरसंघचालक मस्जिद गया और इसके बाद मदरसे में भी जाकर बच्चों से बातचीत की। भागवत के साथ संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें डॉ. कृष्ण गोपाल, रामलाल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार भी थे।

मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर इलियासी ने मोहन भागवत को 'राष्ट्रपिता' और 'राष्ट्र ऋषि' करार दिया है। इलियासी ने कहा कि हम सबका डीएनए एक है। सिर्फ उपासना का तरीका अलग-अलग है। हम विभिन्न तरीकों से उपासना करते हैं। मगर हम हिंदुस्तान मं रहते हैं और हिंदुस्तानी हैं। इलियासी ने कहा कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है और हम सबको इस प्रयास में उसका साथ देना चाहिए। इस दौरे के बाद संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि सरसंघचालक सभी वर्गों के लोगों से मिलते हैं। यह बातचीत उसी का एक हिस्सा है। संघ प्रमुख सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी बातचीत कर रह हैं। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और व्यापारी सईद शेरवानी से भी मुलाकात की थी। इस बैठक में भागवत ने मुसलमानों की ओर से हिंदुओं के लिए 'काफिर' शब्द के इस्तेमाल का मामला उठाया और कहा कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसके साथ ही मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी का लेबल लगाने पर भी आपत्ति की थी। इस मुलाकात में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मोहन भागवत का यह बताया था कि काफिर का अलग अर्थ है। मगर उसे कुछ लोग गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों की चिंता का भी नोटिस लिया और कहा कि तमाम हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है।

इससे पहले मुसलमानों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी 30 अगस्त 2019 को दिल्ली के झंडेवालान में संघ मुख्यालय पहुंचकर सरसंघचालक से मुलाकात की थी। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार की पहल पर हुई इस बैठक की काफी चर्चा हुई थी। मगर राम मंदिर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद इन दोनों नेताओं की मुलाकात को हिंदू-मुस्लिम एकता की दिशा में महत्त्वपूर्ण

कड़ी माना गया था। ऐसी चर्चा भी चल रही है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आने वाले दिनों में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये मुस्लिम नेता कश्मीरी पृथकतावादियों को घाटी में पुनः सक्रिय होने से रोकने और कश्मीरी मुसलमानों को नए भारत से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माना जाता है कि आरएसएस और भाजपा के नेता मुसलमानों को विश्वास में लेने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

मोहन भागवत ने मुसलमानों के बिना भारत को अधूरा बताया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह घोषणा की थी कि पार्टी का मिशन मुसलमानों के समीप पहुंचना होना चाहिए। कश्मीर के गुर्जर नेता ग़लाम अली खटाना को राज्य सभा में भेजना भी संघ की इसी नीति का प्रमाण है, ताकि मुसलमानों को भाजपा के नजदीक लाया जा सके। भाजपा की स्थापना के बाद कई मुसलमान नेताओं की इसमें विशेष भूमिका रही। इसमें सिकंदर बख्त जैसे लोग भी शामिल थे। आरएसएस कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि उसे उन मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इसकी संस्कृति को अपना समझते हैं। इस सिलसिले की शुरुआत गुरु गोलवलकर ने की थी। बाद में मोहन भागवत ने भी कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बिना अधूरा है। दोनों का डीएनए एक है। दोनों इस देश के असली वासी हैं और इस देश की संस्कृति को बचाना दोनों की जिम्मेवारी है।

मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों पर कटाक्ष करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के प्रमुख से मिलने वाले मुस्लिम नेता अशरफिया हैं और इनका देश के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है और न ही इन्हें कोई मुसलमान किसी तरह का महत्व देता है।

सियासत (24 सितंबर) के अनुसार उमेर इलियासी और मोहन भागवत की मुलाकात पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोहन भागवत की ओर से दिल्ली में मस्जिद और मदरसे में जाकर उलेमा से मुलाकात करने और फिर उनसे 'राष्ट्रपिता' और 'राष्ट्रऋषि' कहलवाने के बाद क्या भाजपा आर उसकी सरकारें मुसलमानों, उनके मदरसों और मस्जिदों के बारे में अपने नकारात्मक दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन करंगी? उत्तर प्रदेश सरकार खुले स्थान पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है और मदरसों में हस्तक्षेप कर रही है। मगर आरएसएस प्रमुख ने मौन धारण कर रखा है।

कामी तंजीम (24 सितंबर) ने मोहन भागवत का एक भाषण प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विश्व बाजार की बात तो सभी करते हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो 'वसुधैव कुटम्बकम्' में विश्वास करता है और उसके लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश रहा है। हमारी भूमि ऐसी है जो हर एक को कुछ देती है। इसलिए उसे भारत माता कहा जाता है। हम इसके मालिक नहीं बल्कि इसके बेटे हैं। यह हमारी पवित्र भूमि है। इसमें रहने वाले सभी लोग सांस्कृतिक दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है। हमारी पहचान समान संस्कृति से है। हमारे पास नेशनलिज्म नहीं, राष्ट्रवाद तो हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि इस देश में कोई हिटलर नहीं हो सकता। अगर कोई हिटलर बनने की कोशिश करेगा तो देश की जनता उसे हटा देगी।

सालार (22 सितंबर) के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा ने मुस्लिम संगठनों के साथ नेटवर्क मजबूत करने का

काम सौंपा है। इसलिए उन्होंने गत कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश का अनेक बार दौरा किया है। उनके दौरे का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करना है।

अखबार-ए-मशरिक (30 सितंबर) में प्रकाशित समाचार के अनुसार इस बात की संभावना है कि आने वाले समय में मोहन भागवत से मिलने वाले पांचों मुस्लिम बुद्धिजीवी मोहन भागवत की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करें। पांच मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद मोहन भागवत ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है और बातचीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार, रामलाल और डॉ. कृष्ण गोपाल शामिल हैं। इन्हें मुसलमान बुद्धिजीवियों से संपर्क रखने का आदेश दिया गया है, ताकि देश में माहौल को बदलने के लिए आपसी मतभेदों और गलतफहमियों को दूर किया जाए। आज जो गलतफहमियां हैं उसे सिर्फ आपसी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। इन बुद्धिजीवियों ने यह भी कहा है कि भले ही आरएसएस को मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जरूरत न हो लेकिन मुसलमानों को आरएसएस की जरूरत है, क्योंकि वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है।

अखबार-ए-मशरिक ने 24 सितंबर के अंक में मोहन भागवत का एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उमेर इलियासी से मुलाकात करने का यह अर्थ नहीं है कि भाजपा ने मुसलमानों से संबंधित अपने दृष्टिकोण को बदल लिया है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व पर दृढ़ हैं और हिंदुत्व का अर्थ किसी भी व्यक्ति से शत्रुता या द्वेष रखना नहीं है। हम सब एक देश के वासी हैं और हमारा डीएनए एक ह। भारत में हमेशा विविधता में एकता के सिद्धांत को लागू किए जाने की परंपरा रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि मोहन भागवत का इमामों के संगठन के प्रमुख से मुलाकात करना संघ की विचारधारा की उपेक्षा नहीं है। इससे पूर्व कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि राहुल गांधी द्वारा 'भारत जोड़ो यात्रा' के कारण ही मोहन भागवत को मस्जिद जाना पड़ा है। इंद्रेश कुमार ने

कहा कि संघ के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा दृष्टिकोण वही रहेगा। मगर कांग्रेसियों ने उसे गलत समझा है और इसके बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। अल्पसंख्यकों के साथ मेल-मिलाप की शुरुआत आज से 20 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसकी शुरुआत संघ के तत्कालीन सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन ने की थी।

सियासत (22 सितंबर) के अनुसार बंद कमरे में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ हुई वार्ता में ज्ञानवापी मस्जिद केस और हिजाब के बारे में भी बातचीत हुई है। परंतु किसी विवादित मामले पर कोई विचार नहीं किया गया है।

हमारा समाज (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गत कुछ समय से देश के मुसलमान संघ से बहुत नाराज हैं। सवोच्च न्यायालय में हिजाब का मामला चल रहा है तो वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई शुरू कर दी है। कई राज्यों में मदरसों का सर्वे हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वक्फ भूमि का सवेक्षण करवाने की भी घोषणा की है। पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे हालात में आरएसएस प्रमुख की मुसलमानों तक पहुंचने पर हैरानी व्यक्त की जा रही है और उसके अलग-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद इसमें शक नहीं कि इस देश की तरक्की हिंदू-मुस्लिम एकता में ही निहित हैं। मुसलमानों की सरकार से कई तरह की शिकायतें हैं। देश के बुद्धिजीवी वरिष्ठ न्यायाधीशों और सेक्युलर नौकरशाहों ने भी मुसलमानों में फैल रही बेचैनी पर चिंता प्रकट की है। भाजपा के कुछ नेताओं ने पैगम्ब-ए-इस्लाम पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। मगर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें सिर्फ पार्टी से निलंबित करके ही भाजपा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के बावजूद अनेक राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। शायद इसलिए मोहन भागवत को मुसलमानों की सुध आई है। आम राय यह है कि सरसंघचालक और भाजपा का यह रूझान सत्ता प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 सितंबर) में सईद हमीद ने एक विशेष संपादकीय में कहा है कि पहली बात तो यह है कि मोहन भागवत कथित मुस्लिम बुद्धिजीवियों और प्रतिनिधियों से बंद कमरे में क्यों मुलाकात करते हैं? इन बैठकों में ऐसा कौन सा खुफिया एजेंडा होता है, जिस पर मीडिया के सामने बातचीत नहीं की जा सकती। इसलिए इन बैठकों में मीडिया को नहीं बुलाया जाता, ताकि रहस्य-रहस्य बना रहे। बैठक के बाद संयुक्त पत्रकार सम्मेलन क्यां आयोजित नहीं किया जाता? बाद में कुछ खास- मीडिया वालों से कुछ चुने हुए लोग बातचीत कर लेते हैं कि मोहन भागवत ने यह कहा, वह कहा। लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत की ओर से किसी बात की न तो पुष्टि की जाती है और न ही खंडन किया जाता है। सारे मामले का इस तरह से लटकाकर रखा जाता है जैसे इन बैठकों में बहुत कुछ हो गया और मानों तो कुछ भी नहीं हुआ।

मोहन भागवत कुछ अरसे से मुसलमानों के साथ बंद कमरे में जो बैठकें कर रहे हैं उसका शोर तो बहुत होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इन बैठकों की सच्चाई के बारे में सिर्फ यह कहा जा सकता है कि यह सिर्फ प्रचार अभियान है और जमीनी धरातल पर मुसलमानों की हालत में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उदाहरण के रूप में पिछले वर्ष मोहन भागवत ने मुंबई में बंद कमरों वाली एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें पूरे देश से चुन-चुनकर मुसलमान बुलाए गए थे। बताया जाता है कि इनमें मौलाना कलीम सिद्दीकी भी थे। इनकी तस्वीर भी आरएसएस प्रमुख के साथ खूब वायरल हुई। मगर मुसलमानों के लिए जमीनी हकीकत क्या बदली? इस मुलाकात के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनकी संस्थानों

के साथ क्या हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि अगर इन बंद दरवाजों की बैठकों से हालात नहीं बदलते तो फिर इसका लक्ष्य क्या है? क्या वार्ता के नाम पर कोई जाल तो नहीं फेंका जा रहा है? इसलिए आरएसएस के साथ मुसलमानों के नाम पर होने वाली बातचीत पर खुली बहस होनी चाहिए। यह मामला पांच लोगों का नहीं है। करोड़ों लोगों का है। इसलिए पांच छह लोग बंद कमरे में बैठकर कुछ बातें कर भी लें तो यह लोकतांत्रिक ढांचे में स्वीकार्य नहीं है।

इस मुलाकात में पांच मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें नजीब जंग, एस.वाई. कुरैशी, जनरल जमीरुद्दीन शाह, शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी प्रमुख थे। क्या उन्हें भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधि कहा जा सकता है? उन्हें मुसलमानों का प्रतिनिधि समझकर आरएसएस के प्रमुख उनसे क्या बातें कर रहे थे? क्या इन पांच को देश के मुसलमानों ने चुना था? या आरएसएस प्रमुख ने सिर्फ मुसलमान होने के कारण उन्हें बातचीत के लिए चुना था। साफ है कि ये पांच लोग आरएसएस और मोहन भागवत के चुने हुए लोग थे। अब अखबारी रिपोर्टों में कहा गया है कि ये पांच मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। अगर इन पांचों ने मोहन भागवत से मुलाकात की है तो इन सबकी कोई सरकारी हैसियत नहीं ह? क्या भारत क मुसलमानों के मामले पर अगर कोई बातचीत हो तो वह सरकारी होगी? क्योंकि मोदी सिर्फ आरएसएस के नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सरकार संसद के सामने जवाबदेह है। संसदीय लोकतंत्र की यह मांग है कि प्रधानमंत्री सभी पार्टियों के सांसदों या मुसलमान सांसदों के साथ बैठक आयोजित करें, जिसका खुला एजेंडा हो और ऐसी बैठक के बारे में मीडिया को भी बाखबर रखा जाए। ऐसी बैठकों और मुलाकातों से तो कोई आशा की जा सकती है। लेकिन बंद कमरों और मुट्ठी भर लोगों के साथ हुई भेंट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और न ही उनसे कोई उम्मीद रखी जा सकती है। पते की बात यह है कि मुंबई में मोहन भागवत की मुसलमानों के साथ मुलाकात के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके संगठन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब पांच मुसलमानों के साथ मुलाकात के बाद पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब इसको क्या समझा जाए?

सालार (27 सितंबर) में उर्दू के विख्यात पत्रकार जफर आगा ने मोहन भागवत की चीफ इमाम उमेर इलियासी और पांच बुद्धिजीवियों के साथ बंद कमरे की मुलाकात की तीव्र आलोचना की है। जफर आगा ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद में। क्या आप इस समाचार पर कुछ दिन पहले विश्वास कर सकते थे? जाहिर है नहीं। यही लोग कहते कि भाई को मस्जिद गिराने में तो रुचि हो सकती है, मस्जिद जाने से उसका क्या वास्ता? मगर स्वयं मोहन भागवत ने इस भ्रम को तोड़ दिया और वे अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में चले गए और वहां पर इमाम के साथ एक घंटा मुलाकात की। इसके बाद वे मदरसा भी गए। इसके बाद उनके इस कदम के बारे में चर्चा शुरू हो गई और अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या मुसलमानों के बारे में आरएसएस की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है?

हालांकि सच यह है कि मोहन भागवत का मस्जिद और मदरसा जाना एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। संघ ने इसकी खूब पब्लिसिटी भी करवाई। मदरसे के दौरे से पहले यह खबर भी लीक हुई कि एक महीना पूर्व आरएसएस प्रमुख ने दिल्ली में ही पांच प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। क्या इस पहल का उद्देश्य संघ का मुसलमानों के प्रति नीति में कोई परिवर्तन था? संघ की नींव ही हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पड़ी है। यह उद्देश्य हिंदुस्तानी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर ही

हासिल हो सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले जनसंघ और बाद में भाजपा की स्थापना हुई। हकीकत यह है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने में सफल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भला संघ को अपनी नीति बदलने की क्या जरूरत है?

हकीकत यह है कि संघ न तो बदला है और न ही बदलेगा। अगर यह कट्टर हिंदू संगठन बदल जाएगा तो फिर इसका वजूद ही समाप्त हो जाएगा। अगर भागवत मुसलमानों के प्रति नरम पड़ते हैं तो संघ में उनके खिलाफ खुला विद्रोह हो जाएगा। इस बात को भागवत भी भलीभांति जानते हैं। मगर फिर भी वे मस्जिद और मदरसा गए। वे यूं ही वहां नहीं गए। बल्कि एक बहुत बड़ी अहम पहल थी और इसके कई राजनीतिक मायने थे। दरअसल संघ और भाजपा दो बातों से बहुत चिंतित हैं। पहली तो यह है कि हाल ही में भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर के बारे में जो बयान दिया था, उसके खिलाफ सभी इस्लामिक देशों में भारी विरोध हुआ था। इससे भारत की प्रतिष्ठा को न सिर्फ धक्का लगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारी क्षति होने की संभावना उत्पन्न हो गई। क्योंकि लाखों हिंदुस्तानी अरब देशों में रोजगार पर लगे हुए हैं। जो प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान को करोड़ों डॉलर भेजते हैं। इनमें अधिकांश हिंदू हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि मुस्लिम देशों का गुस्सा ठंडा हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि संघ प्रमुख स्वयं एक मस्जिद और मदरसे में जाएं। दुनिया जानती है कि सारे मुस्लिम जगत में इन दोनों को बहुत सम्मान से देखा जाता है। इनका दौरा करके मोहन भागवत इस्लामिक देशों को यह संदेश दे रहे थे कि संघ की इस्लाम से कोई दुश्मनी नहीं है। उनका उद्देश्य कितना सफल रहा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उनकी मस्जिद यात्रा ने विदेश मंत्रालय को यह अवसर दे दिया कि वह इसकी आड़ में मुस्लिम देशों में भारत को छवि को ठीक कर सके।

संघ और भाजपा की दूसरी परेशानी यह है कि गत कुछ सप्ताह में भाजपा विरोधी विपक्षी दलों में आपसी गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। यह स्थिति मोदी और भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि संघ के लिए भी खतरनाक है। इसलिए यह जरूरी है कि विपक्षी दलों को जाने वाले वोटों का विभाजन हो। इस सच्चाई को सभी जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक 100 से ज्यादा लोक सभा सीटों के चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मुस्लिम मतों में विभाजन हो। सब जानते हैं कि मस्जिदों के इमाम और मदरसों के अध्यापक दो ऐसे गिरोह हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पैसों का इस्तेमाल करके इन दोनों को मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी लक्ष्य से मोहन भागवत मदरसे और मस्जिद में गए। वे जिस मस्जिद में गए, उसके इमाम ने उन्हें 'राष्ट्रपिता' का प्रमाण पत्र भी दे दिया। गत कुछ वर्षों में मुसलमानों के लिए जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उसमें सरकार की ओर से नरमी होनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हो रहा है।

सालार (26 सितंबर) में आदिल अख्तर का एक लेख प्रकाशित हुआ ह, जिसमें कहा गया है कि मोहन भागवत ने कुछ प्रमुख मुसलमानों से गुप्त मुलाकात की थी। सवाल यह है कि इस मुलाकात का विश्लेषण किया जाए। मुसलमानों के साथ मोहन भागवत की यह मुलाकात पहली नहीं है। बल्कि पिछले वर्ष से ही मोहन भागवत मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम से की थी। फिर पिछले वर्ष मुंबई के एक होटल में कुछ मुसलमानों को बुलाया गया, जिनमे मौलाना कलीम सिद्दीकी भी शामिल थे। उन्हें इस बैठक के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और अब वे जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं।

जमीयत उलेमा के बुजुर्ग अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को भी आरएसएस मुख्यालय में बुलाकर भेंट का मौका दिया गया। गाजियाबाद की सभा में मुसलमानों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने यह कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है और मुसलमानों को यह बात माननी चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे। इसलिए भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। फिर उन्होंने यह बयान दिया कि सनातन संस्कृति ही हिंदू संस्कृति है। भारतीय होना ही हिंदू होना है। मुंबई में मोहन भागवत ने कहा था कि आप यह स्वीकार करें कि भारत में इस्लाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आया। अब बुद्धिजीवियों के साथ इस नई बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमान हिंदुओं को 'काफिर' समझना छोड़ दें।

भागवत के सहयोगी राम माधव ने भी पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि भारत में मुसलमान शांति के साथ रह सकते हैं, अगर वे 'काफिर' शब्द का इस्तेमाल बंद कर दें और जिहाद के दृष्टिकोण से स्वयं को अलग कर लें। साफ है कि आरएसएस मुसलमानों से यह चाहता है कि व अपनी अलग पहचान और अपने सिद्धातों के बुनियादी मूल्यों को छोड़ दें। संघ मुसलमानों को 'मोहम्मडन हिंदू' बनाना चाहता है। मगर उसे 'इस्लामी उम्मत' की बात को भूलना होगा और कुरान व सुन्नत को अपने से दूर करना होगा। यही वह लक्ष्य है जिसके लिए आरएसएस बना है और वह जिसके लिए पिछले 100 वर्ष से सक्रिय है। देश में नफरत की ज्वाला भड़काकर उसने सत्ता प्राप्त की है। अब जबकि देश में आरएसएस की परोक्ष रूप से सरकार है, मुसलमान असुरक्षा की भावना से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आरएसएस और उसके संगठन आम मुसलमानों को दबाने, कुचलने और जलील करने के अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का यह अभियान मुसलमानों के लिए भय और खतरे को बढ़ाता है।

इत्तेमाद (23 सितंबर) ने अपने संपादकीय में संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रमुख इमाम उमेर इलियासी से मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे मुसलमानों में चिंता बढ़ गई है। इसस पूर्व कछ मुसलमानों से संघ प्रमुख ने दिल्ली में गुप्त मुलाकात की थी। इसके बाद असम और उत्तर प्रदेश में मदरसों को ध्वस्त करने का सिलसिला तेज हो गया। और कई सौ मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करके गिरफ्तार कर लिया गया। जबसे देश में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी है, तब से भगवा पार्टी ने बहुसंख्यक समाज को संतुष्ट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान तेज कर दिया है। गत आठ वर्षों के दौरान मुसलमानों को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हाशिए पर ला दिया गया है। आम मदरसों पर धावा करके उन्हें शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। वक्फ संपत्ति को उनसे छीनने की कोशिश हो रही है। इन हालात में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने की बजाय संघ प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत कर रहे हैं, जो बेहद अफसोसनाक है।

हैरानी की बात यह है कि इन बुद्धिजीवियों को बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और नूपुर शर्मा के बयान पर कोई चर्चा नहीं हुई। इससे पूर्व जब जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से मुलाकात की थी तो उन्होंने एक बयान में कहा था कि मोहन भागवत के पास आरएसएस जैसा एक मजबूत संगठन है। इसलिए हमें भी संघ के प्रति अपनी नीति में नरमी लानी चाहिए। मगर आम मुसलमानों की यह राय है कि ऐसी बातचीत से उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकल सकता जब तक स्वयं आरएसएस इस मामले में गंभीर न हो। ऐसा नहीं लगता कि इस समय जो लोग बातचीत कर रहे हैं, वे गंभीर हैं या इस संबंध में उन्होंने कोई तैयारी की है।

आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख के.एस. सुदर्शन के समय में भी ऐसे प्रयास हुए थे, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इस समय जो लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वे आरएसएस के इतिहास और उसके दृष्टिकोण से पूरो तरह से वाकिफ हैं। आरएसएस से अगर कोई वार्ता होती है तो उसमें ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो आरएसएस को बखूबी समझते हों और उससे बराबरी में बात कर सकें।

अवधनामा (24 सितंबर) ने डॉ. सैयद फाजिल हुसैन परवेज का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'क्या आरएसएस मुसलमानों को इंसाफ दिला सकेगा'। जहां तक आरएसएस और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात का संबंध है। इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक बातचीत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। गलतफहमी दूर नहीं होगी। जनसंघ और आरएसएस शुरू से ही मुस्लिम विरोधी रहा है। मगर आपातकाल के दौरान इसके नेता मुस्लिम संगठनों के नेताओं के नजदीक आए। जनता पार्टी को सत्ता में लाने में मुसलमानों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। कट्टर जनसंघी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। इसी तरह से हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बण्डारू दत्तात्रेय जब सिकंदराबाद से सांसद थे तो उन्होंने सिकंदराबाद में मुसलमानों की काफी संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया था।

हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक लेख में दावा किया है कि आरएसएस ने कई मुस्लिम विद्वानों की सेवाएं प्राप्त की हैं जो उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की शाखा है जो मुसलमानों को संघ के नजदीक लाने का प्रयास कर रही है। संघ और भाजपा की नीति कुछ भी हो मगर वह मुसलमानों को अपनी नजदीक लाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हाल ही में अजीत डोवाल ने सूफियों का एक सम्मेलन बुलाया था। आरएसएस प्रमुख से मुसलमानों की वार्ता एक अच्छी शुरुआत है। मगर वार्ता उन मुसलमानों से होनी चाहिए जो वास्तव में मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों को यह बात समझने की जरूरत है कि वार्ता मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधियों के साथ हो ताकि उससे कुछ सकारात्मक नतीजे निकल सके।

अवधनामा (26 सितंबर) में प्रकाशित एक लेख में शकील रशीद ने हाल ही में संघ के सरसंघचालक की उमेर इलियासी और पांच मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की आलोचना की है और कहा है कि इन मुलाकातों का उद्देश्य संघ के हितों को आगे बढ़ाना है। अब जो मुसलमान मोहन भागवत से मिल रहे हैं वे जानबूझकर संघ के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात के बाद यह आशा पैदा हुई थी कि मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। मगर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। मुसलमानों की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। मोहन भागवत बार-बार मुसलमानों के पाले में अपनी गेंद फेंक देते हैं और वे अपने पाले में गेंद को कभी नहीं रखते। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर अंधाधुंध गिरफ्तारियों के सिलसिले पर संघ ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपना मुंह खोलते हैं, उनका क्या हश्र होता है, इसे सभी जानते हैं। हैरानी की बात है कि सफूरा जरगर के मुद्दे पर सभी मुस्लिम नेताओं ने मौन धारण कर रखा है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत की पहल से कुछ हासिल होगा इस बात की संभावना नजर नहीं आती।

आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक

इंकलाब (1 अक्टूबर) के अनुसार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन में दबी सफाई मशीन की बरामदगी के मामले में रामपुर की कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी क नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरोपियों के वकील इमरान उल्लाह ने एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। रामपुर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का कहना ह कि पुलिस ने यह दावा किया था कि आजम खान ने नगरपालिका की सफाई मशीन चुरा ली थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रामपुर नगरपालिका पहुंचकर इस मशीन की चोरी से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। अभी तक यह पता नहीं चला है कि इस जांच का क्या नतीजा निकला है।

औरंगाबाद टाइम्स (22 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद के दोनों सदनों में आजम खान के साथ हो रहे अन्याय का मामला समाजवादी पार्टी ने उठाया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दो घंटे के लिए बाधित रही। अनेक बार सदन की कार्यवाही का स्थगित करना पड़ा। विधान सभा की कार्यवाही शुरू होने पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि आजम खान को योगी सरकार झूठे मुकदमों में फंसा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब किसी विधायक को ही न्याय नहीं मिलेगा ता आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। समाजवादी पार्टी के एक अन्य नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई हो रही है। उन्हें दो वर्ष तक झूठे आरोपों में जेल में रखा गया और अब जमानत पर होने के बावजूद उनके खिलाफ सरकार फर्जी मुकदमे बना रही है। जौहर विश्वविद्यालय की खुदाई करवाकर और उसमें नगरपालिका की सफाई की मशीनें बरामद कराकर उनके खिलाफ चोरी के झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से मांग की कि एक विधायक के अधिकारों को संरक्षण के लिए वे हस्तक्षेप करें। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह आरोप सरासर गलत है कि आजम खान या उनके परिवार के खिलाफ बदले की भावना से कोई झूठा मुकदमा बनाया गया है। हालांकि हकीकत यह है कि जिन लोगों की भूमि पर आजम खान ने जबरन कब्जे किए थे, उन्होंने ये मुकदमे दायर किए थे। विधान परिषद में भी यह मामला उठाया गया और इसे

समाजवादी पार्टी के सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने उठाया। इसी पार्टी के एक अन्य सदस्य लाल बिहारी यादव ने कहा कि जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद आजम खान के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 सितंबर) के अनुसार रामपुर प्रशासन ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय के अंदर खुदाई करवाई। खुदाई के बाद वहां से नगरपालिका की एक मशीन बरामद हुई। इससे पूर्व कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया था कि नगरपालिका के अध्यक्ष की मिलीभगत से आजम खान और उनके बेटे ने मनमाने दामों पर नगरपालिका को सफाई की मशीनें बेची थी। जब सरकार बदली तो इन मशीनां को जमीन में दबा दिया गया। पुलिस का यह भी दावा है कि रामपुर के एक पुस्तकालय से चुराई गई काफी पुस्तकें भी विश्वविद्यालय से बरामद की गई हैं। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जमानत पर रिहा

इंकलाब (29 सितंबर) के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। अमानतुल्लाह के वकील दिलशाद अली के अनुसार अमानतुल्लाह पर जो आरोप लगाए गए थे वे बेबुनियाद सिद्ध हुए हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। इनमें से एक महत्त्वपूर्ण मामला वक्फ बार्ड में नियुक्तियों से संबंधित था, जिसमें एसीबी ने यह आरोप लगाया था कि ये नियुक्तियां अनियमित और आपराधिक मनोवृत्ति के कारण की गई हैं। गौरतलब है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह को नौ दिन तक अपनी हिरासत में रखा। उसके बाद दो दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया। वकील ने यह दावा किया है कि अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति को किराए पर देने और दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इकट्ठे किए गए फंड में भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

सियासत (22 सितंबर) के अनुसार विशेष अदालत ने एसीबी के अनुरोध पर अमानतुल्लाह के रिमांड की अवधि में पांच दिन की वृद्धि कर दी थी। एसीबी ने अदालत में बताया था कि अमानतुल्लाह की बीमारी के कारण उनसे सही ढंग से पूछताछ नहीं की जा सकी। उन्होंने उत्तराखंड में जो संपत्ति बनाई है उसके संदर्भ में भी उनसे पूछताछ करना जरूरी है। एसीबी ने यह भी कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि

किस तरह से एक स्कूल को दुकानों में बदल दिया गया और उससे मोटी कमाई की गई। अमानतुल्लाह के वकील ने अदालत में कहा कि इस केस के एक आरोपी हामिद अली को एक अन्य अदालत ने जमानत दे दी है। इसलिए अमानतुल्लाह को भी जमानत दे दी जाए। एसीबी ने यह दावा किया था कि कुछ धनराशि एक राजनीतिक पार्टी को दी गई थी, जिससे पोस्टर छपवाए गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 सितंबर) के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व अमानतुल्लाह के कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिनमें काफी मात्र में नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। अमानतुल्लाह का कहना है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि एसीबी का कहना है कि अमानतुल्लाह के व्यापारिक भागीदार हामिद अली के घर से 12 लाख नकद और एक बिना लाइसेंस की पिस्तौल बरामद हुई थी। इससे पूर्व एसीबी ने जामिया नगर, ओखला और गफूर नगर के पांच स्थानों पर छापे मारे। अमानतुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि ऊपरी दबाव के कारण वक्फ बोर्ड के सीईओ ने एक शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। इस शिकायत में यह दावा किया गया था कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को भर्ती में घोटाला हुआ है। अमानतुल्लाह का दावा है कि जिन 24 लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था, उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के खातों में वित्तीय अनिमितताएं, वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार और अवैध रूप से 33 कर्मचारियों की गलत ढंग से वक्फ बोर्ड में नियुक्ति आदि के आरोप हैं। इस संदर्भ में एसीबी ने अमानतुल्लाह खान पर जनवरी 2022 में एक मुकदमा दर्ज किया था। अमानतुल्लाह से पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त अमानतुल्लाह के व्यापारिक भागीदार हामिद अली के घर पर भी छापे मारे गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 सितंबर) के अनुसार अमानतुल्लाह को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया था। एसीबी ने अदालत से 14 दिन का रिमांड मांगा था, मगर न्यायाधीश ने सिर्फ चार दिन का रिमांड दिया। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह के व्यापारिक भागीदार हामिद अलो को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने दावा किया है कि उनके घर से एक बिना लाइसेंस की पिस्तौल और 12 लाख रुपये बरामद हुए हैं। हामिद अली और अमानतुल्लाह के एक अन्य सहयोगी कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ अवैध अस्त्र-शस्त्र रखने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि कौसर इमाम सिद्दीकी के घर से एक पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद हुए हैं। छापा मारने वाली टीम का यह भी आरोप है कि छापे के दौरान उन पर अमानतुल्लाह के सहयोगियों और परिजनों ने हमला किया और जांच में रूकावट डाली। एसीबी का यह भी दावा है कि अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों के घरों में छापों से 24 लाख नकद बरामद हुए हैं। इससे पूर्व एसीबी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया था कि अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वे जांच में रूकावट डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में 'ऑपरेशन लोटस' की विफलता के कारण भाजपा बौखला गई है और इसलिए वह आम आदमी पार्टी के विधयाकों को झूठे आरोपों में फंसा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विट में अमानतुल्लाह का नाम लिए बिना भाजपा को अपना निशाना बनाया है और कहा है कि पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार

किया गया और अदालत के बार-बार आदेश के बावजूद पुलिस अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। इसके बाद मनीष सिसोदिया को भो फंसाने का प्रयास किया गया। उनके घर और बैंक लॉकर की तलाशी से उन्हें कुछ नहीं मिला। अब एक अन्य विधायक को निशाना बनाया गया है। यह सब राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना के तहत हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण

इत्तेमाद (22 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली सभी संपत्तियों के पंजीकरण की जांच करवाने का फैसला किया ह। इस संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे वक्फ से संबंधित सभी संपत्तियों का सर्वे करके एक महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में 1995 में वक्फ कानून मंजूर होने के बाद या अप्रैल 1989 में वक्फ से संबंधित सरकारी आदेश जारी करने के बाद ऊसर-बंजर या अन्य भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज की गई संपत्तियों की जांच करवाने का निर्देश दिया गया है। उपसचिव शकील अहमद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी निदेशकों, सर्वेक्षण आयुक्त, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा राजस्व विभाग को परिपत्र भेजकर उन्हें सर्वे करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सरकार का दावा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस भूमि को वक्फ भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया था, इस सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाएगी और पंजीकरण में अनियमितता और धांधली करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी तथा इन अवैध कब्जों से सरकारी भूमि को मुक्त करवाया जाएगा। वक्फ संपत्ति के सर्वे के आदेश को उचित बताते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सर्वे का यह फसला सराहनीय है और इसका लक्ष्य वक्फ संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराना और उसकी बिक्री पर रोक लगाना है। वक्फ संपत्ति खुदा की संपत्ति होती है और उस पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है।

सालार (25 सितंबर) के अनुसार तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर धर्मार्थ संस्थान है, जिसकी संपत्ति की कीमत लगभग पांच लाख करोड़ रुपये है, मगर इस संपत्ति पर काफी अवैध कब्जे हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि तेलंगाना में वक्फ संपत्ति के 75 प्रतिशत हिस्से पर अवैध कब्जे हैं। अवैध संपत्ति की इस लूट में वक्फ बोर्ड के कई अधिकारियों का हाथ है जो इस लूट को काफी समय से मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं। मुस्लिम वक्फ संस्थानों के पास बहुत सी संपत्तियों के रिकॉर्ड नहीं हैं। जिन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं उन्हें मुक्त कराने या उनके किराए में वृद्धि करने का अधिकार भी उनके पास नहीं है।

हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में अरबों रुपये की वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं। इस संदर्भ में समाचारपत्रों में समय-समय पर समाचार भी प्रकाशित होते रहे हैं, मगर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना में 33 हजार 929 वक्फ संपत्तियां हैं और उनके पास 77 हजार 838 एकड़ भूमि है। मगर इनमें से तीन चौथाई हिस्से पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हालांकि जिन लोगों ने वक्फ संपत्ति बनाया था उनका लक्ष्य यह था कि इससे समाज के गरीबों, अनाथों और विधवाओं आदि की सहायता हो सके। हैरानी की बात यह है कि काफी वक्फ संपत्ति पर सरकार ने भी कब्जा कर रखा है।

इस समय वक्फ के पास सिर्फ 20 हजार एकड़ भूमि है, जिसस उसे पांच करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है और यह वक्फ बोर्ड के खर्च से भी कम है। इसलिए कर्मचारियों आदि के वेतन के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के जो किराएदार हैं वे वर्षों से किराया अदा नहीं कर रहे हैं और न ही वे दशकों पहले तय किए किराए में वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वक्फ संपत्ति का काफी रिकॉर्ड गायब हो गया है। खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का एक वर्ग उन लोगों की खुले तौर पर सहायता करता है, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दोनों राज्य सरकारों ने कई बार वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे के मामले की सीबीआई और सीआईडी से जांच करने की घोषणा की थी। मगर इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।

इत्तेमाद (18 सितंबर) के अनुसार शिया वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ शिया धार्मिक नेता मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने आंदोलन चलाने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारियों की देखरेख में उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल्बे जवाद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नजदीकी सतीश चंद्र मिश्रा ने वक्फ की 27 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस संबंध में शिया वक्फ बोर्ड द्वारा सभी संबंधित दस्तावेज जिलाधिकारी के पास भिजवाए गए थे, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों का भूमाफियाओं से गठजोड़ है। कर्बला अब्बास बाग की संपत्ति से अवैध कब्जे को हटाने के लिए हमने अनेक बार जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए, मगर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुसैनाबाद की वक्फ संपत्ति पर जिलाधिकारियों ने कब्जा किया हुआ है, उसी तरह से वे सभी शिया वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। हम सरकार की यह मनमानी नहीं चलने देंगे।

इत्तेमाद (22 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों की अरबों रुपये की

वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, जिसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों एवं अन्य धर्माथ संपत्तियों के सर्वेक्षण पर गंभीर है तो वह सिर्फ मुसलमानों के वक्फ का ही सर्वे क्यों करा रही है? हिंदुओं, सिखों और ईसाईयों की वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला असंवैधानिक और गैरकानूनी है। इसे तुरंत वापस ले लेना चाहिए। यह मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश है। मस्जिदें, ईदगाह और कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति हैं। उन्हें मुसलमानों से कैसे छीना जा सकता है? अगर इन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं तो सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड और उसके कर्मचारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सर्वे करने से वक्फ संपत्ति की कानूनी स्थिति पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वह मुसलमानों की संपत्ति है।

हमारा समाज (18 सितंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा उच्च न्यायालय में वक्फ एक्ट 1995 के संबंध में दायर याचिका को चुनौती देने का फैसला किया है। जमीयत उलेमा ने अपनी याचिका में कहा है कि अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका गैरजरूरी है और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 सितंबर) में सैयद अंजुम अली रिजवी ने एक लेख लिखा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र में वक्फ संपत्तियों की खुलेआम लूट का सिलसिला जारी है। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य विधायक और सांसद होते हैं। मगर इसके बावजूद वक्फ संपत्ति की लूट का सिलसिला जारी रहता है। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा भले ही कांग्रेसी हैं, मगर उन्हें वक्फ बोर्ड के कानून के तहत कार्रवाई करके वक्फ संपत्तियों की लूट को रोकना चाहिए, ताकि वक्फ संपत्तियों की आय का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जा सके।

कौमी तंजीम (23 सितंबर) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के सर्वे करवाने की चर्चा करते हुए कहा है कि हालांकि मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध किया है। मगर इसके बावजूद यह भी हकीकत है कि पूरे देश और खास तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं, वहां पर वक्फ की खरबों रुपये की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि अनेक सरकारें भी वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वालां में शामिल हैं। इनमें केंद्र सरकार भी शामिल है। मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 को नजरअंदाज किया गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कुछ श्रेणी की सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। अब राज्य सरकार ने 1989 के आदेश को रद्द करके सभी संपत्तियों के सर्वे करने का निर्देश दिया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड क पास है। देश में साढ़े आठ लाख से अधिक वक्फ संपत्ति हैं, जिनमें 8 लाख एकड़ भूमि भी शामिल है। जरूरत इस बात की है कि इन वक्फ संपत्तियों को माफिया गिरोहों और अवैध कब्जों से मुक्त करवाया जाए। ताकि इनसे होने वाली आय से गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता की जा सके। समाचारपत्र ने यह कहा है कि यदि इस सर्वे के निष्कर्षों को ईमानदारी से लागू किया जाए तो वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियां की लूट पर लगाम लगेगी और इससे सरकार को भी लाभ होगा। मुसलमानों को इस सर्वे का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि यह मुसलमानों के हित में है।

जापान का महावाणिज्य दूत जासूसी के आरोप में गिरफ्तार

इंकलाब (28 सितंबर) के अनुसार रूस के शहर व्लादिवास्तोक में रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जापान के वाणिज्य राजदूत मोतोकी तत्सुनोरी को गिरफ्तार कर लिया है। रूस ने दावा किया है कि रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने जापान के महावाणिज्य दूत के एक जासूसी प्रयास को विफल कर दिया है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि इस जापानी राजनयिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि वे इस जानकारी को एशिया के एक देश को उपलब्ध करवाना चाहते थे। यह जानकारी एशिया के एक देश के साथ रूस की गुप्त वार्ता और प्रशांत महासागर में लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित थी।

रूस ने इस संदर्भ में जापान को विरोध प्रकट भी भेजा है और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसे अवांछनीय व्यक्ति भी करार दे दिया है। इससे पूर्व जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने यह घोषणा की थी कि जापान ने रूस को रासायनिक अस्त्र-शस्त्र बनाने से संबंधित वस्तु भेजने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, ताकि मास्को को यूक्रेन के खिलाफ इसके इस्तेमाल की सजा दी जा सके। जापानी अधिकारी ने यह संदेह व्यक्त किया है कि रूस शीघ्र ही यूक्रेन में परमाणु अस्त्र-शस्त्र का इस्तेमाल करेगा। जापान ने 21 रूसी संगठनों को भी किसी तरह का सामान भेजने पर पतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी घोषणा के अनुसार 'जी-7' के अधिवेशन में जापान ने इन प्रतिबंधों की विधिवत सूचना दी थी, जिसे अधिवेशन में मंजूरी दे दी गई है। जापान ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की घटनाक्रम से उसे भारी चिंता है और वह यूक्रेन का समर्थन करता है और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग जारी रहेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार रूस ने एक अमेरिकी मूल के जासूस को रूसी नागरिकता प्रदान करने का फैसला किया है। यह पहले अमेरिका में खुफिया ठेकेदार था और इसका नाम एडवर्ड स्नोडेन बताया जाता है। यह व्यक्ति काफी समय से फरार था और अमेरिका इसे गुप्त सूचनाएं लीक करने के आरोप में काफी समय से खोज रही है। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 2013 में भागकर रूस चला आया था और तब से रूस में ही रह रहा था। उसने जो गुप्त सूचनाएं रूस को उपलब्ध कराई थी, उनमें अलकायदा के खिलाफ अमेरिका द्वारा की जा रही कार्रवाईयों का विवरण भी था। अमेरिका का यह प्रयास था कि वह इस जासूस को किसी तरह से वापस स्वदेश लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एडवर्ड स्नोडेन के वकील ने बताया कि यह पूर्व अमेरिकी नागरिक अपनी पत्नी सहित रूस में रह रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने इसके अतिरिक्त 75 अन्य विदेशियों को भी रूसी नागरिकता प्रदान की है।

तालिबान के साथ रूस का समझौता

इत्तेमाद (29 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि खाद्यान और ईंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूस से गेहूं और तेल खरीदा जा सके। रूस ने सस्ते दामों पर अफगानिस्तान को गेहूं और तेल सप्लाई करने का फैसला किया है। रूस के इस फैसले से अफगानिस्तान सरकार को खाद्य और ऊर्जा संकट पर काब् पाने में सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त व्यापार संबंधों में भी नई शुरुआत हो सकती है। तालिबान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक प्रवक्ता अब्दुल सलाम जवाद अखुंदजादा ने कहा है कि इस समझौते के तहत अफगानिस्तान रियायती दामों पर गैस और डीजल रूस से खरीदेगा। किसी देश के साथ तालिबान का यह सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। बताया जाता है कि इस समझौते के तहत दस लाख टन पेट्रोल और डीजल खरीदे जाएंगे। जबकि पांच लाख टन पेट्रोलियम गैस भी रूस से मंगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन गेहूं की सप्लाई करेगा। गेहूं से संबंधित यह समझौता अनिश्चितकालीन है।

जून महीने में तालिबान सरकार ने ईरान के साथ साढ़े तीन लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने का समझौता किया था। गौरतलब है कि किसी भी देश के तालिबान के साथ नियमित व्यापारिक संबंध नहीं हैं। मगर रूस उन कुछ देशों में है, जिसने काबुल में अपना दूतावास बंद नहीं किया है। अफगानिस्तान अपने इस्तेमाल का पेट्रोल उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से खरीदता है। तालिबान सरकार ने रूस के साथ पहला समझौता करके नया कदम उठाया है। इस संदर्भ में अस्थाई समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते के तहत रूस अफगानिस्तान को दस लाख टन पेट्रोल, दस लाख टन डीजल, पांच लाख टन गैस और 20 लाख टन गेहूं उपलब्ध कराएगा। अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री हाजी नुरुद्दीन अजीजी ने कहा है कि बाद में इस समझौते को दीर्घकालीन समझौते में बदल दिया जाएगा। रूस ने अफगानिस्तान के आर्थिक संकट को देखते हुए रियायती दामों पर गेहूं और पेट्रोल सप्लाई करने का फैसला किया है।

अमेरिका प्रति वर्ष सवा लाख शरणार्थियों को शरण देगा

इत्तेमाद (30 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले वर्ष के लिए अमेरिका में शरणार्थियों के सवा लाख के कोटे को बरकरार रखा है। हालांकि उन पर इस बात के लिए दबाव था कि वे इस संख्या में वृद्धि करें। ट्रम्प के शासनकाल में अमेरिका में शरण लेने वाले शरणार्थियों की संख्या में भारी कटौती की गई थी और यह संख्या घटाकर मात्र 15 हजार कर दी गई थी, जो अमेरिका के इतिहास की सबसे कम संख्या थी। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बाइडेन ने 2021 की बाकी अवधि के लिए शरणार्थियों की संख्या बढ़ाकर चार गुना कर दी थी। फिर 2022 के वित्त वर्ष के दौरान में उन्होंने इसकी संख्या सवा लाख निर्धारित की थी। लेकिन इस वर्ष अब तक 20 हजार से कम शरणार्थी अमेरिका में शरण पा सके हैं। इनमें यूक्रेन और अफगानिस्तान से आने वाले एक लाख 60 हजार शरणार्थी शामिल नहीं हैं, जो मानवीय आधार पर अमेरिका में आए हैं। मगर इस कानून के तहत अमेरिका में शरण लेने वाला शरणार्थी सिर्फ दो वर्ष तक ही अमेरिका में रह सकता है। जबकि एक अन्य कानून के तहत जो शरणार्थी अमेरिका में स्थाई तौर पर रह सकते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 20 हजार है।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत अफ्रीका के लिए 40 हजार, पूर्वी-दक्षिणी एशिया के लिए 35 हजार, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के लिए 15 हजार का कोटा निर्धारित किया गया था। जबकि 5 हजार का कोटा संरक्षित रखा गया था। बाइडेन ने 2023 के वित्त वर्ष में यूरोप और मध्य-एशिया के लोगों के लिए 5 हजार अतिरिक्त कोटे की अनुमति दी थी, ताकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भागकर आने वाले शरणार्थियों को अमेरिका में शरण मिल सके। इसके अतिरिक्त उन्होंन शरणार्थियों से संबंधित एक पायलट योजना भी शुरू को है, जिसके तहत आम अमेरिकी नागरिक को इस बात की अनुमति होगी कि व अपने समुदाय के शरणार्थियों को पुनः आबाद करने के लिए पंजीकरण करवाएं। जैसे अमेरिकी नागरिकों ने अफगानिस्तान और यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों के लिए स्वयं को पंजीकरण करवाया था।

अमेरिका में शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य नौ एजेंसियां करती हैं। उनके अमेरिका में दाखिले का कोटा राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और उनके पुनर्वास के लिए फंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि सवा लाख का कोटा मानवीय सहानुभूति के आधार पर निर्धारित किया गया है। हालांकि अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन सत्तारूढ़ हों या डेमोक्रेट औसतन 95 हजार व्यक्ति ही आम तौर पर अभी तक शरणार्थी के रूप में प्रवेश पाते रहे हैं।

रूस के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग

सालार (27 सितंबर) के अनुसार मध्य रूस के एक नगर इजेव्स्क के एक स्कूल में एक सशस्त्र व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम-से-कम 13 लोग मारे गए, जिनमें 7 छात्र भी शामिल हैं। बाद में इस व्यक्ति ने स्वयं को भी गोली से उड़ा ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस ने इस घटना की जांच क लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। रूस की सुरक्षा एजेंसियां आक्रमणकारी की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं। बताया जाता है कि संदिग्ध व्यक्ति ने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था और उसने काले रंग की टीशर्ट पहन रखी थी, जिस पर नाजी पार्टी का चिन्ह बना हुआ था।

मरयम नवाज और उनका पति बरी

इंकलाब (30 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ की बेटी और मुस्लिम लीग (नवाज) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज और उनके पति कैप्टन मुहम्मद सफदर अवान को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय न कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह से विफल रहा है। गौरतलब है कि एवेनफील्ड अपार्टमेंट घोटाले के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 2018 में नवाज शरीफ को दस वर्ष और मरयम नवाज को सात वर्ष और उनके पति को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। मगर बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मरयम नवाज और उनके पति को मियां नवाज शरीफ क केस से अलग कर दिया था। इस फैसले के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मरयम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी नेता के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी ने इतने झूठे मुकदमे कभी दायर नहीं किए, जितने नवाज शरीफ परिवार के खिलाफ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि इमरान खान ने जानबूझकर हमें साजिश का निशाना बनाया था। दूसरी ओर, तहरीक-ए-इंसाफ के नेता डॉ. शहबाज गिल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले ने देश को 30 वर्ष पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार का नवाज शरीफ परिवार के साथ गठजोड़ हुआ है, उससे साफ है कि शीघ्र ही नवाज शरीफ परिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाएगा।

पश्चिम एशिया

ईरान में हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

ईरान में ढंग से हिजाब न पहनने पर पुलिस की पिटाई से घायल एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ और मानवाधिकारों के पक्ष में प्रदर्शनों की ज्वाला भड़क उठी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक पुलिस, सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झड़पों में कम-से-कम 70 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां ने यह आरोप लगाया है कि इन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है।

इंकलाब (25 सितंबर) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पुलिस हिरासत में मरने वाली महसा अमीनी के पक्ष में देशव्यापी प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने की घोषणा की है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अब तक 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान के कई नगरों में सरकार समर्थक लोगों ने जवाबी रैलियां निकाली हैं। फौज ने घोषणा की है कि वह अशांति फैलाने वाले दुश्मनों को सख्ती से कुचलेगी। सरकारी मीडिया के अनुसार इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान को उन लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए जो देश की एकता और अमन को खतरे में डाल रहे हैं। इब्राहिम रईसी मशहद नगर में प्रदर्शनकारियों से मुकाबले में मारे गए एक व्यक्ति के परिवारजनों से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि जन-प्रदर्शन और जानबूझकर देश की एकता को खतरा पैदा करने के बीच अंतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों की आड़ में दंगों को भड़काया जा रहा है। ईरान में इन प्रदर्शनों की शुरुआत उत्तरी-पश्चिमी ईरान में एक 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा अमीनी की शवयात्रा के अवसर पर हुई थी।

गौरतलब है कि ईरान में एक विशेष पुलिस है, जो गैर इस्लामिक लिबास पहनने वाले और अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। महसा अमीनी अपने भाई से मिलने

तेहरान आई थी और ढंग से हिजाब न पहनने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। पुलिस की हिरासत में वह कोमा में चली गई और चार दिन बाद उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु का कारण पुलिस द्वारा उससे हिंसक व्यवहार और मारपीट है। अमीनी की मौत के बाद ईरान में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' पर प्रतिबंध और महिलाओं के लिए 'धार्मिक आचरण' को सख्ती से लागू किए जाने के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा, जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने हिजाब को सरेआम फाड़ दिया और उसको जलाना शुरू कर दिया। कई महिलाओं ने तो अपने सिर के बाल तक काट डाले। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सेना ने कुचलने का प्रयास किया।

एक अन्य समाचार के अनुसार सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन प्रदर्शनों में 50 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें पांच पुलिस वाले भी शामिल हैं। दस दिनों से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और अब यह देशव्यापी पैमाने पर फैल गया है। पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सेना को काफी संख्या में भेजा जा रहा है। ईरानी पुलिस के एक प्रवक्ता ने इस आरोप का खंडन किया है कि अमीनी की मौत पुलिस की मारपीट के कारण हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हुई ह और जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। जनाक्रोश को देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने अमीनी की हत्या की जांच करवाने की घोषणा की है, मगर इसके बावजूद प्रदर्शन रूकने का नाम नहीं ले रहा है और यह और भी भीषण रूप ले रहा है।

इत्तेमाद (24 सितंबर) के अनुसार विश्व के अनेक देशों मं ईरानी दूतावासों के सामने प्रदर्शन हुए हैं। समाचारपत्र के अनुसार अमीनी को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था, क्योंकि उसने स्कार्फ पहनने से इंकार कर दिया था। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि विदेशी मीडिया

पर 'अघोषित सेंसर' लगा दिया गया है। ईरान ने फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। अब इंटरनेट और विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान विश्व से पूरी तरह से कट गया है। ईरान के संचार मंत्री ईसा जरपौर ने कहा है कि सुरक्षा दृष्टि से और अफवाहों को रोकने के लिए संचार साधनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 सितंबर) के अनुसार ईरान में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ईरानी शिक्षक संघ की टीचर्स यूनियन की समन्वय परिषद ने एक बयान में कहा है कि जनाक्रोश को दबाने के लिए छात्र एवं छात्राओं को सामूहिक रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार और धार्मिक शासन व्यवस्था के खिलाफ खुलेआम नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के नारे हैं 'कट्टरवादी धार्मिक सरकार नहीं चाहिए', 'तानाशाही का अंत हो'। गैर सरकारी संस्थान ईरान ह्यूमन राइट्स के अनुसार अब तक इन प्रदर्शनों में कम-से-कम 70 लोग मारे जा चुके हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 सितंबर) के अनुसार उग्र प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सूबों में 36 स्थानों पर पुलिस मुख्यालयों पर हमले करके उन्हें आग लगा दी है। ईरानी गुप्तचर मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इन प्रदर्शनकारियों के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है और ये पदर्शन गैरकानूनी हैं। इसलिए इनमें भाग लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान सरकार के संगठन ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब ने देश की न्यायपालिका से मांग की है कि देश में झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ विशेष अदालतों में मुकदमे चलाए जाएं।

इत्तेमाद (27 सितंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां ने होने वाले प्रदर्शनों को 'फसादी टोले की करतूत' करार दिया है और कहा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और उसकी एजेंसियों का हाथ है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करना बंद कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि यह अमेरिका की ईरान विरोधी नीति का प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु क्षेत्र में जो विकास कर रहा है, उसको रोकने के लिए और ईरान को एक परमाणु शक्ति का दर्जा पाने से दूर रखने के लिए इन दंगों को भड़काया जा रहा है।

दूसरो ओर अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि ईरानो जनता की यह इच्छा है कि वे इज्जत के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के वातावरण में अपना जीवन गुजारें। इसलिए

अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ईरानी जनता पदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यह प्रयास कर रहे हैं कि ईरानी जनता की आवाज विदेशों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु शक्ति के संबंध में ईरान सरकार से हमारी वार्ता चल रही है। वह ईरान की जनता के अधिकारों और महिलाओं की आजादी का समर्थन करने से हमें नहीं रोक सकता। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

इत्तेमाद (26 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरान में महिलाओं पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं व पश्चिमी मीडिया में प्रारंभ से ही आलोचना का केंद्र रहे हैं। अफगानिस्तान हो या ईरान वहां पर शरोयत को जिस तरह से लागू किया गया है, पश्चिमी मीडिया प्रारंभ से ही उसका आलोचक रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में मुस्लिम सामाजिक ढांचा, सभ्यता और शरीयत पर आधारित कानूनों को आलोचना का निशाना बनाया जाता है। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हिजाब और महिलाओं की अश्लील गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसकी आड़ लेकर पश्चिमी मीडिया इस्लाम और शरीयत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करता आ रहा है। हाल ही में ईरान पुलिस की हिरासत में एक 22 वर्षीय युवती की हत्या के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं। ईरान में 'गश-ए-इरशाद' पुलिस की एक विशेष यूनिट है, जिसका यह कर्तव्य है कि वह इस्लामिक शरीयत को सख्ती से लागू करे और जो महिलाएं शरीयत का उल्लंघन करके अपने बालों को हिजाब से नहीं ढंकती और ऐसी पोशाक पहनती हैं, जिनसे उनके शरीर के अंग उभरकर दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ मोरल पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। 22 वर्षीय महसा अमीनी ने सिर को हिजाब से ढकने से इंकार कर दिया था। इस पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अपनी हिरासत में अमीनी को प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

ईरान में भड़के प्रदर्शनों को ईरानी राष्ट्रपति ने निर्णायक रूप से कुचलने का फैसला किया है। इस समय य प्रदर्शन ईरान के 31 सूबों तक फैल चुके हैं। इन प्रदर्शनों में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्हें पुरुषों का भी समर्थन प्राप्त है। लाखों लोगों के प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि नौजवान महिलाएं हिजाब उतारकर उसे आग के हवाले कर रही हं। पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान सरकार का दावा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी शक्तियां और विदेशों में रहने वाले ईरानियों का हाथ है। कई स्थानों पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हुए भी दिखाया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 2019 में इस्लामिक सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें सेना ने सख्ती से कुचल दिया था। इन प्रदर्शनों में कम-से-कम डेढ़ हजार लाग मारे

गए थें प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मोरल पुलिस ने महसा अमीनी को हिरासत में लेने के बाद उसके सिर पर डंडे बरसाए और उसका सिर पुलिस की एक गाड़ी से बार-बार टकराया। जबकि पुलिस का दावा है कि उसके साथ किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है और उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा था। राष्ट्रपति रईसी का कहना है कि अमीनी की मौत की जांच करवाई जाएगी। जबकि ईरान के गृहमंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि उनके पास जो भी रिपोर्ट आए हैं, उससे साफ है कि अमीनी पर किसी तरह की हिंसा नहीं की गई है। अमीनी के पिता ने सरकारी दावों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि उनकी बेटी को कभी दिल की बीमारी नहीं थी।

समाचारपत्र ने कहा है कि ईरान की मोरल पुलिस अपने सख्त रवैये के कारण आलोचना का शिकार होती आ रही है। वहां शरीयत के कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। वर्तमान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कट्टरपंथी माना जाता है। गत वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उन्होंने देश भर में निगरानी करने वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि हिजाब न पहनने वाली और अश्लील लिबास पहनने वाली महिलाओं का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ईरानी कानून के अनुसार अगर कोई ईरानी महिला हिजाब के कानून के खिलाफ ऑनलाइन सवाल उठाती है या शरीयत कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई सामग्री पोस्ट करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें कैद और जुर्माना दोनों शामिल हैं। इन पाबंदियों के खिलाफ ईरानी जनता विशेष रूप से भड़क उठो है और सोशल मीडिया पर पश्चिमी लिबास और बिना हिजाब पहने महिलाओं की तस्वीरों को पोस्ट करने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।

टिप्पणी: निष्कासित ईरानी शहंशाह रजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरानी समाज को मुस्लिम देशों में सबसे खुला समाज माना जाता था। ईरानी महिलाएं पश्चिमी देशों की महिलाओं जैसी लिबास पहनती थीं और वे किसी तरह का पर्दा नहीं करती थीं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद उनके पश्चिमी लिबास और पश्चिमो महिलाओं जैसे जीवन गुजारने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। पश्चिमी लिबास पहनने वाली महिलाओं को व्यापक रूप से गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की तरह शरई तौर तरीकों को लागू करने के लिए 'मोरल पुलिस' नामक एक विशेष पुलिस शाखा का गठन किया गया और उसे इस्लाम विरूद्ध आचरण करने वाली महिलाओं से निपटने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए।

चार वर्षों में इजरायल में पांचवें चुनाव की तैयारी

रोजनामा सहारा (17 सितंबर) के अनुसार इजरायल में इस वर्ष के नवंबर महीने में चुनाव कराने की तैयारी है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण गत चार वर्षों में पांचवीं बार वहां चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहू के पीछे सभी दक्षिणपंथी यहूदी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। जबकि विपक्ष में अरबों की विभिन्न पार्टियां अभी तक नेतन्याहू के खिलाफ कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी हैं। इससे यह सिद्ध हो गया है कि अरब समर्थक चार दलों का गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' समाप्त हो गया है और ये अब अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं। इन पार्टियों में डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर पीस एंड इक्वालिटी (हदश), नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (बलाद), यूनाइटेड अरब लिस्ट (राम) और अरब मुवमेंट फॉर रिन्यूअल (ताल) शामिल हैं। अरब समर्थक

गठबंधन के भंग हो जाने के कारण इस बात की संभावना है कि भावी इजरायली संसद में अरबों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम होगा। जबकि यहूदी पार्टियों की ताकत बढ़ेगी। अरब समर्थकों के विभाजन के कारण अरब पार्टियों के 40 प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि इजरायल में जो नई सरकार सत्ता में आएगी उसकी नीति यहूदी समर्थक होगी और अरबों के प्रति उसका रूख काफी कड़ा होगा।

कुवैत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा

इंकलाब (16 सितंबर) के अनुसार कुवैत के

प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ अल-अहमद अल-सबाह ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से जेद्दा के अल-सलाम महल में मुलाकात की। इन दोनों अरब नेताओं ने यह संभावना व्यक्त की कि इन दोनों देशों के बीच उद्योग और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि होगी। इस वार्ता में सऊदी अरब के मंत्री प्रिंस तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद और कुवैत में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस सुल्तान बिन साद और विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान भी मौजूद थे। जबकि कुवैत की ओर से इस वार्ता में सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत शेख अली अल-खालिद अल-जाबर अल-सबाह, प्रधानमंत्री के सचिव शेख खालिद तलाल और प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक हमद बदर अल-अमेर ने भाग लिया।

मक्का और मदीना के बीच तेज रफ्तार ट्रेन

रोजनामा सहारा (17 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब की जियारत करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मक्का और मदीना के बीच तेज रफ्तार ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस रेलगाड़ी की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस आधुनिक गाड़ी में 400 से अधिक यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसकी टिकट की कीमत 40 से 150 सऊदी रियाल के बोच रखी गई है। यह गाड़ी जेद्दा और किंग अब्दुल्ला इकोनोमिक सिटी के स्टेशनों पर रूकेगी। हाल ही में सऊदी अरब की हज मंत्रालय ने एक विशेष योजना के तहत दुनिया भर के लोगों को साल भर तक उमरा करने की अनुमति दी है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक

भारी भरकम मनोरंजन परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई फिल्म की लाइव पदर्शन की व्यवस्था, खेलों की सुविधाएं और विभिन्न देशों के भोजनालयों की भी व्यवस्था की गई है। यह परिसर एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होगा। इससे पांच लाख लोगों के लाभ उठाने का अनुमान है और इससे 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परिसर से सऊदी अरब को आठ अरब रियाल की आय होने का अनुमान है। विजन 2030 के तहत सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि विशेष उपलब्धि दिखाने वाले व्यक्तियों को सऊदी सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त एक आधुनिक नगर का निर्माण 500 अरब डॉलर की लागत से किया जा रहा है। इस नगर में दस लाख लोगों के आवास की व्यवस्था होगी और यह 170 किमी क्षेत्रफल में फैला होगा। इस नगर के निर्माण पर 180 अरब सऊदी रियाल खर्च किए जाएंगे। जबकि तीन लाख 80 हजार लोगों को इससे रोजगार मिलेगा।

नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला

इंकलाब (26 सितंबर) के अनुसार नाइजीरिया की

एक मस्जिद में एक दर्जन लोगों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दो दर्जन से अधिक नमाजी नमाज पढ़ते हुए मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि जामफारा राज्य की जामा मस्जिद पर मोटरसाइकिल सवार सशस्त्र लोगों ने हमला किया था। कहा जाता है कि आक्रमणकारी डाकू थे। जबकि कुछ लोगों का यह दावा है कि आक्रमणकारियों का संबंध अलकायदा से संबंधित आतंकी संगठन अल-शबाब से है। मीडिया के अनुसार आक्रमणकारियों की पुलिस से गठजोड़ थी, इसलिए वे दो घंटे तक खून की होली खेलते रहे। मस्जिद के इमाम ने इन आक्रमणकारियों के हमले की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी थी। पुलिस का दावा है कि सेना क्योंकि समाज विरोधी तत्वां के खिलाफ अभियान चला रही है, इसलिए डाकुओं ने यह बदले की कार्रवाई की है।

अन्य

काबा में नारा लगाने की अनुमति नहीं

सियासत (16 सितंबर) के अनुसार काबा के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति काबा की यात्रा के लिए आएं वे काबा और मस्जिद-ए-नबवी की पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये दोनों पवित्र स्थान सिर्फ प्रार्थना करने के लिए हैं, राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं। इनमें किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का राजनीतिक नारा लगाने या इस्लाम के खिलाफ प्लेकार्ड का प्रदर्शन करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में उमरा के दौरान कुछ विदेशी नागरिकों ने बैनर लहराए थे, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पूर्व भी काबा की पवित्रता को भंग करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की थी।

निजाम को भारत रत्न देने की मांग

सियासत (19 सितंबर) के अनुसार कर्नाटक के बीदर में आयोजित एक समारोह में यह मांग की गई कि सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अब्दुल मन्नान सैत की अध्यक्षता में आयोजित एक जनसभा में यह दावा किया गया कि जब चीन ने भारत पर हमला किया था तो प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने जनता से सहायता की अपील की थी। इस अपील के बाद निजाम ने पांच टन सोना राष्ट्रीय स्वर्ण कोष में दान दिया था। इस सोने की कीमत उस समय 1500 करोड़ थी। जनसभा में इस बात की अलोचना की गई कि निजाम की राष्ट्र के प्रति सेवाओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और उसे गलत ढंग से जनता के सामने पेश किया जाता है।

लव जिहाद के आरोपी का मकान ध्वस्त

सियासत (22 सितंबर) के अनुसार लव जिहाद के कथित आरोपियों के खिलाफ अब झारखंड में भी अभियान शुरू हो गया है। झारखंड के बोकारो में आरजू मलिक नामक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि आरजू ने अपना मजहब छिपाकर धोखे से एक हिंदू लड़की से निकाह किया और फिर उसे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया,

जिन्होंने उससे सामूहिक बलात्कार किया। प्रशासन ने इस सिलसिले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस और एसडीएम की निगरानो में आरजू मलिक के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी आरजू मलिक के खिलाफ पीड़िता ने चास महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि 2021 में उसकी मुलाकात आरजू मलिक से हुई थी। आरजू मलिक ने अपना परिचय एक हिंदू के रूप में दिया। बाद में उसने किसी बहाने से लड़की को अपने घर पर बुलाया। जहां पर पहले ही उसने पंडित को बुलाकर रखा था। आरजू ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसकी वीडियो भी बनाई। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

सियासत (24 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मांग की है कि तेलंगाना के मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय मुसलमानों को तेलंगाना में जो 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। मजलिस के जोर देने पर तेलंगाना सरकार ने 2016 में मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए सुधीर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तेलंगाना के मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। तेलंगाना सरकार ने इस संदर्भ में पिछड़ा वर्ग आयोग से राय मांगी थी, जिसने मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग का समर्थन किया था। मगर इसके बावजूद इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वे इस संदर्भ में देश की सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित

सियासत (17 सितंबर) के अनुसार कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के विरोध के बावजूद धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित कर दिया गया है। कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ने इसका विरोध किया और यह तर्क दिया कि इस तरह का कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है। जबकि सरकार ने यह तर्क दिया कि इस कानून से जबरन धर्मांतरण को रोका जा सकेगा। विधान सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। नए कानून के तहत धोखा देकर, जबरन और लालच द्वारा धर्मांतरण करना अपराध घोषित किया गया है आर इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए तीन स पांच वर्ष कैद और 25 हजार रुपया जुर्माना की व्यवस्था की गई है। अल्पव्यस्क का धर्मांतरण करने वाले क लिए 10 वर्ष कैद और 50 हजार जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति सामूहिक धर्मांतरण का दोषी होगा, उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

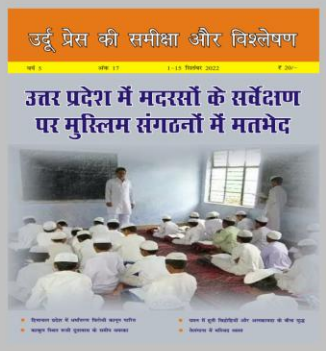

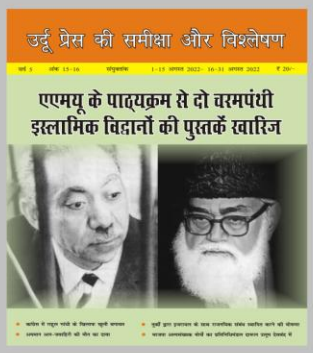

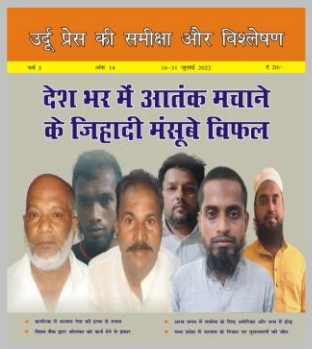

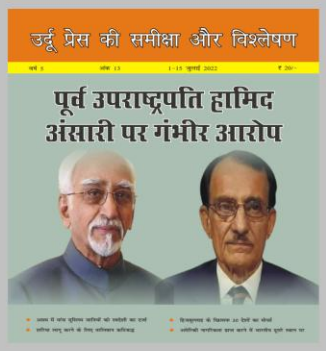

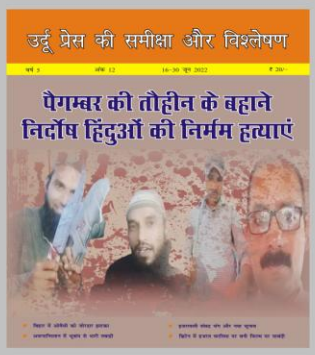

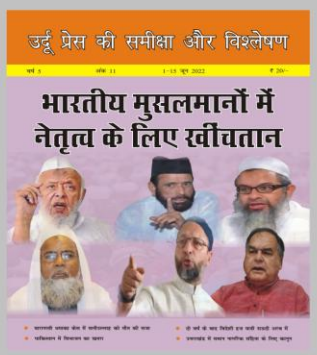

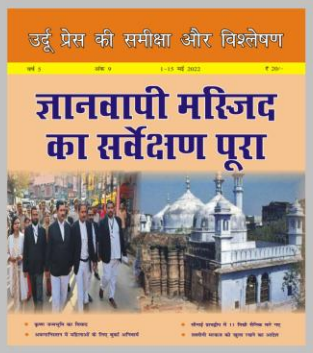

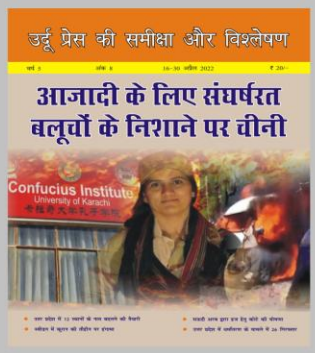

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रतीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in